बिहार सरकार
<u>पंचायती राज विभाग</u>

आदेश

आदेश संख्या–2प/वि०–17–32/2025/592/पं०रा० पटना, दिनांक 14/11/26

लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–5753 दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से वाद सं०–02/2025 में पारित आदेश की मूल प्रति सभी अनुलग्नक सहित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा **श्री विभाष कुमार निराला**, मुखिया, ग्राम पंचायत–बढ़ौना, प्रखण्ड–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरूपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अधीन मुखिया के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने–अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. **श्री विभाष कुमार निराला** के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जाँच दल के पदाधिकारी, यथा : निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व–नियोजन, डीआरडीए, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर, कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर, से करायी गयी। जाँच दल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके पत्रांक–251 दिनांक 08.05.2025 द्वारा **श्री विभाष कुमार निराला**, मुखिया, ग्राम पंचायत–बढ़ौना, प्रखण्ड–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर के विरूद्ध विभागीय निदेशों की अवहेलना, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के संबंध में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के तहत् कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

4. मुखिया के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा योजना संख्या–09/2022–23 ग्राम पंचायत–बढ़ौना में नवीन मंडल के घर से रामजी मंडल के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य, योजना संख्या–03/2022–23 ग्राम पंचायत–बढ़ौना में वार्ड संख्या–09 मे आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–211 का मरम्मति कार्य, योजना संख्या–07/2020–21 ग्राम पंचायत–बढ़ौना के मंडल टोला में सामुदायिक भवन की मरम्मति कार्य एवं योजना संख्या–05/2023–24 ग्राम पंचायत–बढ़ौना के वार्ड संख्या–12 के पासवान टोला में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरती गयी है।

5. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु आरोपित मुखिया को विभागीय पत्रांक–12348 दिनांक 26.09.2025, पत्रांक–12375

दिनांक 26.09.2025, पत्रांक–12842 दिनांक 14.10.2025 एवं पत्रांक–13476 दिनांक 11.11.2025 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में आरोपित मुखिया द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित अभ्यावेदन के रूप में समर्पित किया गया। मुखिया से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन की मांग जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर से की गयी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–1828 दिनांक 21.11.2025 द्वारा कंडिकावार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराये गये कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन, लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के अवलोकन एवं परिशीलन से निम्न तथ्य ज्ञात होता है :–

(क) **योजना संख्या–09/2022–23** ग्राम पंचायत–बढ़ौना में नवीन मंडल के घर से रामजी मंडल के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य के संबंध में जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार संदर्भित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.12.2022 को दी गयी जबकि तकनीकी स्वीकृति दिनांक 18.12.2022 को दी गयी विभागीय नियमों के विपरीत है। योजना मे कन्हैया लाल ट्रेडर्स से 05 विपत्र प्राप्त किये गये हैं जिसमे तिथि 15.12.2022 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि राशि निकासी की तिथि तकनीकी सहायक द्वारा योज़ना की तकनीकी स्वीकृति की तिथि दिनांक 18.12.2022 से पूर्व का है। यह भ्रामक एवं संदिग्ध है। इससे स्पष्ट है कि जिस दिन प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी उसी दिन अभिकर्त्ता को नियुक्त करते हुए ₹8,77,443.00 की निकासी की गयी है। इस योजना में 200 फीट नाला एवं पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण निजी जमीन पर किया गया है और नाला को बीच में ही छोड़ दिया गया है। निजी जमीन में योजना का क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के विपरीत है। स्थल जाँच से स्पष्ट हुआ है कि यह योजना किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से लिया गया है जो आम जन के लिए अनुपयोगी है।

इस संबंध में आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि यह योजना ग्राम सभा से पारित की गयी थी जिसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 13.12.2022 को प्राप्त करने के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.12.2022 को प्रदान की गयी है। जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की तिथि दिनांक 18.12.2022 गलत है जबकि तकनीकी स्वीकृति वास्तव में दिनांक 13.12.2022 को तथा प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.12.2022 को प्राप्त की गयी है।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं अधिवक्ता द्वारा समर्पित बचाव पक्ष के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि दिनांक 15.12.2022 को ही कन्हैया लाल ट्रेडर्स को कुल ₹8,77,443.00 की निकासी के बिन्दु पर प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, केवल तकनीकी स्वीकृति की तिथि दिनांक 13.13.2022 को जाँच पदाधिकारी द्वारा 18.12.2022 गलत अंकित करने का दावा किया गया है जो मात्र एक लिपकीय भूल है। जिस दिन प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी उसी

दिन अभिकर्त्ता को नियुक्त करते हुए ₹8,77,443.00 की निकासी कर ली गयी जो स्पष्टतः भ्रामक एवं संदिग्ध है। इस योजना में 200 फीट नाला एवं पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण निजी जमीन पर किया गया है और नाला को बीच में ही छोड़ दिया गया है। उक्त नाला की निकासी निजी जमीन पर है जिससे नाला निर्माण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार निजी जमीन में बिना रैयत की सहमति के योजना का निर्माण एवं प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि को अभिकर्त्ता को नियुक्त करते हुए ₹8,77,443.00 की निकासी करने संबंधी तथ्य को एक साथ देखने से स्पष्ट होता है कि आरोपी मुखिया द्वारा जान–बूझकर योजना पर असफल व्यय एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है जो पदीय दायित्वों के निर्वहन के दुरूपयोग को प्रदर्शित करता है।

(ख) **योजना संख्या–03/2022–23** ग्राम पंचायत–बढ़ौना में वार्ड संख्या–09 में आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–211 का मरम्मति कार्य के संबंध में जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच में उल्लेख किया गया है कि इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13.06.2022 को मुखिया द्वारा दी गयी और मास्टर रॉल वर्ष 2021 के अगस्त माह से अक्टूबर 2021 का संलग्न किया गया है जो विभागीय नियमावली के विपरीत एवं नियमानुकूल नहीं है;

इस संबंध में आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त योजना की स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा दी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायत सचिव को नियुक्त कर उन्हें निदेश दिया गया कि इस योजना का कार्य 15वीं वित्त आयोग के दिशा–निदेश के अनुरूप किया जाय। इसलिए कार्य निष्पादन में मुखिया द्वारा कोई भी गलती नहीं की गयी है।

उक्त के आलोक में लोक प्रहरी से प्राप्त अभिलेख एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता द्वारा जाँच पदाधिकारी द्वारा उल्लिखित संदर्भित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13.06.2022 को दिये जाने के पश्चात् क्रियान्वयन में मास्टर रॉल वर्ष 2021 के अगस्त माह से अक्टूबर, 2021 तक के संलग्न करने के बिन्दु पर कोई स्पष्ट प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। आरोपित मुखिया द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व की तिथि में मास्टर रॉल तैयार किया जाना एवं इस पर भुगतान की कार्रवाई किया जाना नियम विरूद्ध है। उनके द्वारा जान–बूझकर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं पद का दुरूपयोग किया गया है।

7. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त अभिलेख में वर्णित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित मुखिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में रखे गये पक्ष तथा अन्य संगत अभिलेखों के अवलोकनोपरांत आरोपित मुखिया **श्री विभाष कुमार निराला**, ग्राम पंचायत–बढ़ौना, प्रखण्ड–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की वित्तीय और कार्यकारिणी प्रशासन हेतु मुखिया को प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने, कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करने एवं सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न दिशा–निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रमाणित होते हैं।

कृ०पृ०उ०

8. विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया **श्री विभाष कुमार निराला** को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अधीन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से ग्राम पंचायत–बढ़ौना, प्रखण्ड–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर को मुखिया के पद से हटाते हुए यह आदेश दिया जाता है कि **श्री विभाष कुमार निराला** आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने के पात्र नहीं होंगे। जिला पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

13/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–32/2025/592/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : श्री विभाष कुमार निराला, मुखिया, ग्राम पंचायत–बढ़ौना, प्रखण्ड–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–32/2025/592/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त–सह–लोक प्रहरी, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर/पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत–बढ़ौना, प्रखण्ड–हवेली खड़गपुर, जिला–मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–32/2025/592/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि0–17–32/2025/592/पं०रा० पटना दिनांक 14/1/2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प / वि0–17–32 / 2025 / 592 / पं०रा०   पटना दिनांक 14 / 1 / 2026
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित ।

13/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव